

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञाप सं०-06/खा० म० वैशाली (केन्द्रीय विद्यालय)-56/2025-

(6)/रा०, पटना-15, दिनांक-

सेवा में,

अनौपचारिक
रूप से
परामर्शित

महालेखाकार, बिहार (लेखा एवं हकदारी),
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

द्वारा :- आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय :- मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक-15.07.2025 के मद संख्या-23 में दी गई स्वीकृति के आलोक में वैशाली जिलान्तर्गत अंचल-हाजीपुर के मौजा-बड़ी युसुफपुर दिग्घी खुर्द, थाना सं०-156, खाता सं०-273, खेसरा सं०-383, रकबा-04 एकड़ गंगा परियोजना के तहत पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा अर्जित भूमि केन्द्रीय विद्यालय के भवन निर्माण हेतु केन्द्रीय विद्यालय संगठन, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार को एक रुपये के टोकन मूल्य पर 30 वर्षों के लिए लीज नवीकरण विकल्प के साथ निःशुल्क बंदोबस्त किये जाने की स्वीकृति।

आदेश : स्वीकृत।

2. स्वीकृति इस शर्त के साथ दी जाती है कि जिस प्रयोजन हेतु भूमि दी जा रही है, उसमें उसकी उपयोगिता नहीं रहने पर भूमि स्वतः राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को लौट जाएगी।

3. अन्य शर्तें खास महाल मैनुअल के प्रावधानों एवं समय-समय पर निर्गत राजस्व विभागीय परिपत्रों से आच्छादित होंगे।

4. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन प्राप्त है।

5. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(आजीव वत्सराज)

सहायक निदेशक,

भू-अर्जन-सह-संयुक्त सचिव।

(6)/रा०, पटना-15, दिनांक-.....

निबंधित

ज्ञापांक-06/खा० म० वैशाली (केन्द्रीय विद्यालय)-56/2025-

प्रतिलिपि:-समाहर्ता, वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। मूल अभिलेख सं०-01/2025-26 संलग्न कर लौटाई जाती है।

अनु०-यथोक्त।

(मूल अभिलेख संख्या-01/2025-26)

ह०/-

(आजीव वत्सराज)

सहायक निदेशक,

भू-अर्जन-सह-संयुक्त सचिव।

(6)/रा०, पटना-15, दिनांक-15/07/25

ज्ञापांक-06/खा० म० वैशाली (केन्द्रीय विद्यालय)-56/2025-

प्रतिलिपि:-आयुक्त, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ई-मेल

(आजीव वत्सराज)

सहायक निदेशक,

भू-अर्जन-सह-संयुक्त सचिव।